राजस्व आदेश अनुवृत्ति–पत्र

रा.प्र.क.202503220300032 / अ–62 / वर्ष 2024–25

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 23.04.25 | प्रकरण प्रस्तुत। आवेदिका सुखिया पति बृजलाल जाति गोंड निवासी ग्राम दशपुर, तहसील व जिला–गरियाबंद द्वारा ग्राम दशपुर, प.ह.नं. 23, तहसील–गरियाबंद खसरा नम्बर 309 / 1, रकबा 0.10हे0 भूमि में स्थित 27 मे से 10 वृक्षों के काटने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।<br>प्रकरण में राजस्व निरीक्षक एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त।<br>प्रकरण का अवलोकन किया गया। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 22.01.2025 को प्राप्त हुआ। राजस्व निरीक्षक बिन्द्रानवागढ़ एवं सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी गरियाबंद के संयुक्त प्रतिवेदन मय विवरण (प्रपत्र अ,ब,स) प्रस्तुत है।<br>आवेदिका सुखिया पति बृजलाल के आवेदन एवं कथन का परिशीलन करने उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदिका सुखिया पति बृजलाल जाति गोंड़ निवासी ग्राम दशपुर द्वारा प्रारूप–क में ग्राम दशपुर, प.ह.नं. 23, तहसील–गरियाबंद खसरा नम्बर 309 / 1, रकबा 0.10हे0 भूमि में 27 में से 10 वृक्षों को काटने का आवेदन किया गया है। उक्त आवेदन में काटे जाने वाले शुष्क वृक्षों की प्रजाति, उसके सापेक्ष संख्या और भौतिक स्थिति, परिपक्व वृक्षों की प्रजाति और उसके सापेक्ष संख्या और भौतिक स्थिति तथा कारण का उल्लेख नही किया गया है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन में काटे जाने वाले वृक्षों के विवरण के अभाव में वृक्ष कटाई की अनुज्ञा जारी किया जाना संभव नही है।<br>अतः आवेदिका सुखिया पति बृजलाल द्वारा वृक्ष कटाई हेतु प्रारूप–क में प्रस्तुत आवेदन में काटे जाने वृक्षों का आधारभूत विवरण न होने के कारण प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जाता है। प्रकरण नस्तीबध्द होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>अनुविभागीय अधिकारी(रा0)<br>गरियाबंद | |

Scanned with CamScanner